


**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
अलवर [राज०]**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
<p>25/10</p> <p>15.09.16</p>	<p>अभिभाषक-अपीला०/रेस्प० उपदिष्ट। श्रतः पत्तावली वास्ते-<u>25-10-16</u> दिनांक-<u>24-10-16</u> को पेश हो।</p> <p>अपीलांतों द्वारा जरिये अग्रिमार्थ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्तावली आज पेशी पर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में सिबेदन किया गया है कि मैं अपी० व रेस्प० के प्रत्येक गौजिज लोगों की आपसी समझौते से आपस में समझौता हो चुका है, जिस समझौते के अनुसार अपी० रेस्प० के सिद्ध कोई आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहती है, इसलिए बाजदारी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर स्थापित किया जाकर पत्तावली दायित्व दफ्तार की जावे।</p> <p>हमने पत्तावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर गौर किया। प्रार्थी अपी० प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः -वायहित में बाजदारी प्रार्थना पत्र स्थापित किया जाता है। प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर, नम्बर से कम किया जाकर पत्तावली बाद लम्बील, वाहता दायित्व दफ्तार की जावे।</p> <p align="right">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>

तेवामेः

आती न आ दि

श्रीमान,

यह कि उ

रोज अपी

कर दो :

यह कि

हुयो, आ

ते अद

खा

के बा

यह

नि

चा

अप